केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/10 दिनांक: 08.01.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00010
CICOM/R/2017/01326

अपीलकर्ता : श्री कान्तीलाल जैन,
17 महावीर हाउसिंग सोसाइटी,
महावीर नगर – 2 क्रास कोटन मार्केट रोड,
गदग – 582101, कर्नाटक ।

निर्णय की तारीख : 08.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.11.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.10.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से शिकायत सं. CIC/VS/C/2014/000277 की दिनांक 25.08.2015 को हुई सुनवाई की सी.डी. की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "No record of video conferencing held on 25.08.2015 is available. In fact, there is no provision for recording of hearing held through video conferencing." के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरुप है, इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित अन्य मदों के संदर्भ में भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों/शिकायतों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा आदेश जारी हो जाने के बाद उसपर जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

09/01/18

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
09 JAN 2018
D. No.......
Initials.......